गोपाल - छोटरमल प्रु.नं. 41/23

दिनांक	आज्ञा पत्र	
15.6.23	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट....डीसमिस.... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 41/2023

1 गोपाल पुत्र काना फौत
1/1 रामवतार पुत्र स्व. गोपाल
1/2 सुरेन्द्र पुत्र स्व. गोपाल
1/3 पारा देवी पत्नी स्व. गोपाल
समस्त निवासी ढाणी सापावाली तन ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
1/4 मनफुली पुत्री स्व. गोपाल पत्नी जटाशंकर यादव निवासी बिलान्दरपुर जिला जयपुर राज.।
2 सुवा पुत्र काना निवासी ढाणी सापावाली तन ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
3 काना पुत्र रूडा
4 हनुमान पुत्र रूडा
5 हरनाथ पुत्र रूडा
6 सुरेन्द्र पुत्र स्व. रामदेव
7 जितेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व. रामदेव
8 सुमित्रा पुत्री स्व. रामदेव
9 पतासी पत्नी स्व. रामदेव
समस्त जाति अहीर निवासी ढाणी सागलडा (चौलाई) तन ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।
10 चौथी पत्नी रामप्रताप
11 बनवारी पुत्र रामप्रताप
12 मूलचन्द पुत्र रामप्रताप
13 रामोतार पुत्र रामप्रताप
14 सुरेश पुत्र रामप्रताप
समस्त जाति अहीर निवासी ढाणी सागलडा (चौलाई) तन ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
15 संतोष देवी पत्नी स्व. राजेन्द्र प्रसाद
16 सतपाल पुत्र स्व. राजेन्द्र प्रसाद
17 उगन्ता देवी पुत्री स्व. राजेन्द्र प्रसाद
समस्त जाति अहीर निवासी ढाणी सागलडा (चौलाई) तन ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलांटस

बनाम

1 छीतरमल पुत्र श्री बक्शा जाति अहीर निवासी ढाणी हरसम्बन्धीवाली तन ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
2 कल्याण पुत्र नानछी पुत्री रूडा
3 रतन पुत्र नानछी पुत्री रूडा फौत
3/1 रामस्वरूप पुत्र स्व. रतन
3/2 लक्ष्मी पुत्री स्व. रतन
3/3 कान्ता पुत्री स्व. रतन
3/4 सीता पुत्री स्व. रतन
3/5 गीता पुत्री स्व. रतन
4 लालचन्द पुत्र नानछी पुत्री रूडा
5 प्रेम पुत्र नानछी पुत्री रूडा
6 कैलाश पुत्र नानछी पुत्री रूडा
समस्त जाति अहीर निवासी ढाणी मंगरावाली तन ग्राम ढोढसर तहसील चौमू जिला जयपुर राज.।
7 रामनिवास पुत्र प्रभाती पुत्री रूडा
8 श्रवण पुत्र प्रभाती पुत्री रूडा
9 फूली देवी पुत्री प्रभाती पुत्री रूडा
10 रामप्यारी पुत्री प्रभाती पुत्री रूडा
11 रामवतारी पुत्री प्रभाती पुत्री रूडा
12 धापु पुत्री प्रभाती पुत्री रूडा
समस्त जाति अहीर निवासी ढाणी मंगरावाली तन ग्राम ढोढसर तहसील चौमू जिला जयपुर राज.।
13 पटवारी हल्का लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
14 तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
15 प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय–आदेश दिनांक 25.05.2023 बअदालत उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 59/2018 बउनवानी छीतरमल बनाम गोपाल वगै. में पारित किया गया जिसके तहत अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में से रास्ता निकालने हेतु आदेश पारित किये।

उपस्थिति :

1. श्री विनोद सरोज, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बजरंगलाल शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 15/4/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 59/2018 में पारित निर्णय दिनांक 25.05.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना अ.धारा 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 374 वाके ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलान्ट जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 6, 7, 13 की मृत्यु होने पर पत्रावली वास्ते कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु नियत थी। कायम मुकाम की कार्यवाही पूर्ण होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 6, 7, 13 के वारिसों की तामील कराये एवं बिना उन्हें जवाब व साक्ष्य सबूत का अवसर दिये ही एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय ने बिना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये ही एकतरफा में अपीलान्ट का जवाब पेश करने का अवसर बंद कर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर विधि विरूद्ध तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट की भूमि में से सबसे निकटतम रास्ता बताया गया है परन्तु यहां यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके खातेदार स्वयं की भूमि के पूर्व दिशा में 100 मीटर दूरी पर आम रास्ता स्थित है, तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके खातेदारों की भूमि के पश्चिम दिशा में 100 मीटर दूरी आम रास्ता स्थित है उक्त दोनों ही रास्ते मौके पर चालू है। उक्त रास्ते से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके सहखातेदार आते जाते है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपीलांट की भूमि से आम रास्ते की दूरी 536 मीटर बताई है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वर्तमान में जिस रास्ते आ जा रहा है उस रास्ते से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके सहखातेदारों की भूमि की दूरी मात्र 100 मीटर है। विचारण न्यायालय ने इस कानूनी तथ्य पर गौर नहीं किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान 251 ए में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि यदि रास्ता चाहने वाले खातेदार के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हो तो ही रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। जबकि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के पास रास्ता विद्यमान था। ऐसी स्थिति में धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नया रास्ता स्थापित नहीं किया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर जो रिपोर्ट बनाई जाती है, वह रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा बनाई जा सकती है या कम से कम गिरदावर द्वारा बनाई जा सकती है, उससे कम पद के व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट बनाई जाती है तो वह रिपोर्ट विधि विरूद्ध एवं कानूनी प्रावधानों के विपरित होगी। अपीलाधीन आदेश के संबंध में जो रिपोर्ट बनाई गई है वह पटवारी हल्का द्वारा बिना मौके की जांच किये बनाई गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने आवेदन प्रस्तुत होने पर विधि अनुसार तामीली कार्यवाही कर, तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर, बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

स्वीकार किया है। विचारण न्यायालय में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को जवाब प्रस्तुत करने हेतु 45 अवसर दिये गये है। इसके उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना कर लघुत्तम रास्ता प्रदान किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलान्ट जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 6, 7, 13 की मृत्यु होने पर पत्रावली वास्ते कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु नियत थी। कायम मुकाम की कार्यवाही पूर्ण होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 6, 7, 13 के वारिसों की तामील कराये एवं बिना उन्हें जवाब व साक्ष्य सबूत का अवसर दिये ही एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय ने बिना अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये ही एकतरफा में अपीलान्ट का जवाब पेश करने का अवसर बंद कर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर विधि विरूद्ध तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया है स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। साथ ही विचारण न्यायालय को यह भी देखना था कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत रास्ता सिर्फ **Absolute nesessaty** (आत्यंतिक आवश्यकता) पर ही दिया जा सकता है ना कि सुविधा के लिए। इस बिन्दु पर भी साक्ष्य सबूत लेकर प्रकरण को देखा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रक्रिया अनुसार कायम मुकामी एवं तलबी की प्रकिया पूर्ण कर जवाब प्राप्त कर उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 15/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर